Journal of Advance Research in Science and Social Science (JARSSC) **ISSN:** 2582-2004
Official Publication of Indian Mental Health & Research Centre Volume 03, Issue 01

DOI: 10.46523/jarssc.03.01.11
Multidisciplinary, Open Access

OPEN ACCESS
Crossref DOI Prefix 10.46523
Crossref

उत्तर प्रदेश की पेपर मिलों में श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था

डॉ. अर्चना मिश्रा
असि0 प्रोफेसर (समाजशास्त्र विभाग) शिया पी0जी00 कॉलेज, लखनऊ

सारांश

औद्योगिक चिन्तन के एक महत्त्वपूर्ण अंग के रूप में श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था औद्योगिक उत्पादन की यह शाखा है जिसके अन्तर्गत श्रमिक समस्याओं व उनके कल्याण तथा श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी दशाओं का अध्ययन करते हैं। श्रमिक वर्ग को औद्योगिक समाज का एक महत्त्वपूर्ण एवं मुखरित अंग माना जाता है तथा नागरिक की अन्य आवश्यकताओं के अनुरूप वह व सामाजिक सुरक्षा के प्रधानों की आ करता है। इस प्रकार सामाजिक सुरक्षार, सामाजिक कल्याण का ही एक अनिवार्य भाग है इसका आशय यह है कि कों के जीवन तथा समुदाय के सामान्य सामाजिक जीवन के माध्य सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। कोंकी सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता इस तथ्य में अन्तर्निहित है कि हमारा औद्योगिक श्रमिक आज राष्ट्र की समस्त जनसंख्या का ही एक महत्त्वपूर्ण एवं भाग है जो मानवीय आवश्यकता के उत्पाद तैयार करता है तथा आधुनिक जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मानव की प्रत्येक क्रिया श्रमिकों के खून–पसीने से निर्मित होती है जैसा कि अन कल्याण विषय के सिद्धान्तकार मूर्ति ने उचित ही कहा है हमारी सभ्यता का अनवरत संचालन श्रम बाजार पर ही निर्भर करता है।ष दूसरे शब्दों में सभ्य जीवन जैसा कि वह आज विद्यमान है तभी सम्भव हो सका है जब श्रमिकों ने कारखानों औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य कार्य स्थलों में कठिन परिश्रम किया है। अन की क्रियाशील आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये माना गया है कि श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रावधान किये जाय ताकि श्रमिक उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु अधिक उत्ताहवर्मक रूप से कार्य कर सके।

Received: 16.01.2020 **Accepted:** 13.02.2020 **Published**: 13.02.2020

आधुनिक युग ने सामाजिक सुरक्षा को सार्वभौमिक मान्यता प्रदान की है तथा उसे औद्योगीकरण के समस्त कार्यक्रमों में प्रथम स्थान दिया है। एक संतुष्ट श्रमशक्ति किसी देश की आर्थिक समृद्धता की रीढ़ की हड़ी होती है। न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने श्रम कल्याण व सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता को निम्न शब्दों में किया है आज यह सर्वमान्य है कि किसी राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी होती है। विशेष रूप से आर्थिक स्वावलम्बन के क्षेत्र में इसका तात्पर्य यह है कि श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा मात्र एक मानवीय समस्या ही नहीं बल्कि यह राष्ट्र की सफलता तथा भावी भारत के निर्माण में श्रमिक वर्ग के साहसिक सहयोग पर निर्भर करती है।

प्रस्तावना

पेपर मिलों में श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा व स्वास्थ्य रक्षा का ध्यान सर्वोपरि है क्योंकि इस निर्माणी उद्योग में श्रमिकों को विविध दृष्टि से खतरा बन सकता है जैसे कच्चे माल की कटिंग, वॉशिंग, कुकिंग आदि पर उड़ती धूल व गन्दगी श्रमिकों के मुँह व नाक से शरीर के अन्दर प्रवेश कर जाती है जिससे श्वाँस व फेफड़ों का संक्रमण उत्पन्न होने लगता है। पेपर मिलों में श्रेष्ठ उत्पादन के लिए वहाँ के श्रमिकों का विशिष्ट योगदान होता है। हमारे देश के. भौतिक एवं आर्थिक निर्माण में भी श्रमिकों ने अपना खून पसीना एक किया है अतएव हमारी सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में उसे महत्त्वपूर्ण स्थान मिलना आवश्यक है। इस दृष्टि से स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी योजनाएँ न्याय एवं मानवीय मूल्यों पर आधारित है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री गजेन्द्र गडकर ने राष्ट्रीय श्रम आयोग (1969) के प्रतिवेदन में कहा है कि मानव को उसकी यातनाओं से छुटकारा दिलाने एवं उसे सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की खोज सदियों से जारी है परन्तु आधुनिक युग में यह करोड़ों स्त्री–पुरूषों के जीवन का एक प्रमुख अंग बन गयी है। अतः सामाजिक सुरक्षा से तात्पर्य एक ऐसी सुरक्षा से है जो समाज द्वारा वहाँ के नागरिकों को प्रदान की जाती है, जिसके फलस्वरूप वह उसके सम्मुख आने वाली यातनाओं से मुक्त हो सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में पेपर उद्योग जैसे

Received: 16.01.2020 **Accepted:** 13.02.2020 **Published**: 13.02.2020

महत्त्वपूर्ण उद्योग में स्वास्थ्य रक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा एक आधारभूत नीति है तथा उद्योगों के श्रेष्ठ उत्पादन पर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के दायित्व आवश्यक रूप से प्रभाव डालते हैं।

अध्ययन विधि

प्रस्तुत शोध लेख में उत्तर प्रदेश सरकार योजना भवन, मान्यता प्राप्त समाचार पत्र, पत्रिकाओं, शोध पत्रिकाओं द्वारा समय–समय पर प्रकाशित समकों और सूचनाओं का उपयोग करते हुये उत्तर प्रदेश की पेपर मिलों में कार्यरत श्रमिकों एवं प्रबन्धकों से प्रत्यक्ष सम्पर्क द्वारा प्राप्त सूचनाओं को समाहित किया गया है। इस प्रकार इस अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आर्थिक समंकों का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन तथा इण्टरनेट से प्राप्त सामग्री भी उपयोग में लायी गयी है।

श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा

'सामाजिक सुरक्षा उन आकस्मिक संकटों, दुर्घटनाओं या कठिनाइयों से होने वाली जोखिमों से बचाने का एक प्रयास है, जिनकी संभावनायें मानव जीवन में बनी रहती हैं। यह सुरक्षा सरकार या सामाजिक संगठन द्वारा प्रदान की जाती है।'– पं० जवाहरलाल नेहरू पेपर

पेपर मिलों में सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा से तात्पर्य उस सुरक्षा व्यवस्था से है जो सेवायोजकों या प्रबन्धकों द्वारा अपने अमिकों को उनके जीवन काल में किसी भी समय घट सकने वाली विविध प्रकार की आकस्मिकताओं के विरुद्ध प्रदान करता है। यह अवधारणा सामाजिक न्याय के सिद्धान्त पर आधारित है। जहाँ तक श्रमिकों का सम्बन्ध है उनके सम्मुख विविध प्रकार की आकस्मिकताएँ उपस्थित होती रहती है जैसे–

(अ) आय की असुरक्षा– बेकारी, छँटनी, मजदूरी भुगतान में अनियमितता, अवैध कटौतियाँ, अल्प मजदूरी आदि ।

Received: 16.01.2020 **Accepted:** 13.02.2020 **Published**: 13.02.2020

(ब) व्यवसायिक असुरक्षा– जो बीमारियों औद्योगिक घटनाओं, दूषित कार्य दशाओं एवं प्रदूषित पर्यावरण के कारण उपस्थित हो।

(स) प्राकृतिक असुरक्षा– प्राकृतिक कारणों से भी विपत्ति या असुरक्षा आ सकती है जैसे– वृद्धावस्था, मृत्यु, अकाल, भूकम्प इत्यादि इन विपत्तियों के विरुद्ध उपाय करना ही सामाजिक सुरक्षा है।

संविधान के अनुच्छेद 41 42 43 में सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी निर्देशनों का प्राविधान किया गया है। इस तरह सामाजिक सुरक्षा आर्थिक, व्यवसायिक, व्यक्तिगत, सामाजिक या प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होने वाली अनेक आकस्मिकताओं के विरुद्ध प्रबन्धकों द्वारा प्रदान की गयी एक बीमा व्यवस्था है।

सामाजिक सुरक्षा योजना एक सामाजिक बीमा योजना है जो व्यक्ति को संकट के समय अथवा उस समय जब उसकी आय कम हो जाय तथा जन्म मृत्यु या विवाह में होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए लाभान्वित करती है सर विलियम बेवरिज ने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम एक सुनियोजित योजना के अन्तर्गत पाँच दानयों के विरुद्ध अभियान है। सामाजिक उन्नति के लिए अभाव, अज्ञानता, मलिनता, सुस्ती व बीमारी–इन पाँच दानवों से लड़ना सामाजिक सुरक्षा है।

औद्योगिक अर्थव्यवस्था में व्यापारिक उच्चावचनों के कारण बेरोजगारी की मात्रा बढ़ती घटती रहती है। इस प्रकार श्रमिकों को बीमारी, औद्योगिक दुर्घटना एवं वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता चाहिए। श्रमिकों के पास पूँजीपतियों की भाँति कोई संचित सम्पत्ति तो होती नहीं है जिसका वे इन विपत्तियों के समय प्रयोग कर सके। स्वभाविकत राज्य सरकार या प्रबन्धकों का यह कर्तव्य हो जाता है कि श्रमिकों को इन विपत्तियों के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा प्रदान करें।

श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी उपाय

Received: 16.01.2020 **Accepted:** 13.02.2020 **Published**: 13.02.2020

सामाजिक सुरक्षा आधुनिक युग के उन गतिशील विचारों में से एक है जिसने विश्व में बहुत से राष्ट्रों की आर्थिक एवं सामाजिक नीति पर प्रभाव डाला है। पेपर उद्योग में औद्योगिक राष्ट्र भारत में सामाजिक सुरक्षा की धारणा बलवती होती जा रही है। पेपर उद्योग में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के दो तरीके हैं– सामाजिक बीमा तथा सामाजिक सहायता ये दोनों तरीके एक ही सिक्के के दो पहलू कहे जा सकते हैं तथा दोनों ही किसी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के अभिन्न अंग होते हैं। व्यापक रूप से सामाजिक सहायता में निर्धन एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को ऐच्छिक रूप से क्षतिपूर्ति या हर्जाना प्रसूति लान, पेंशन इत्यादि राहत पाने के अधिकार के बदले में कुछ अंशदान तथा सामाजिक बीमा में संभावित लाभ पाने और दूसरे व्यक्तियों के चन्दों से एकत्र किया गया कोष रखा जाता है और उसमें से बीमारी, चोट, प्रसूति, बेकारी, वृद्धावस्था, पेंशन आदि लाभ दिये जाते हैं। यह कहा जा सकता है कि कोई सामाजिक सहायता योजना थोड़े साधनों वाले व्यक्तियों को एक अधिकार के रूप में लाभ की ऐसी रकम देने की व्यवस्था करती है जो कि आवश्यकतापरक एक न्यूनतम स्तर पर पूर्ण करने के लिए पर्याप्त होती है तथा जिसके लिए वित्त की व्यवस्था करों द्वारा की जाती है बेवरिज ने सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता के लिए निम्न प्राथमिक कारण निर्धारित किये हैं बेकारी, असमर्थता एवं विकलांगता, वैतनिक रोजगार पर अनिर्भर व्यक्ति, सेवा निवृत्ति के पश्चात् पेंशन की व्यवस्था, महिला की विवाह सम्बन्धी आवश्यकता, मृत्यु संस्कार सम्बन्धी व्यय सन्तान भत्तों की व्यवस्था तथा शारीरिक रोग व असमर्थता सम्बन्धी कारणों की दृष्टि से सामाजिक सुरक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण है। पेपर उद्योग में श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता को देखते हुये संघीय एवं राज्य सरकारों द्वारा निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं।

1. श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923

भारत में श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी यह प्रथम प्रयास था इस अधिनियम में यदि कोई श्रमिक कार्य करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और जिससे उसकी मृत्यु हो

जाती है या पूर्णतः या आंशिक रूप से कार्य करने अक्षम हो जाता है तो उसको या उसके आश्रितों को इस अधिनियम के द्वारा क्षतिपूर्ति रकम देने की व्यवस्था होती है।

2. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948

सामाजिक सुरक्षा की दिशा में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इस अधिनियम के अन्तर्गत बीमारी लाभ, प्रसूति लाभ अयोग्यता लाभ आश्रित लाभ, चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। इसमें श्रमिकों के प्रतिमाह वेतन से 1.75 प्रतिशत की कटौती की जाती है तथा सेवायोजकों की तरफ से 4.75 प्रतिशत का योगदान किया जाता है।

3. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961

यह अधिनियम सर्वप्रथम महाराष्ट्र द्वारा वर्ष 1929 में तथा उत्तर प्रदेश में वर्ष 1938 में निर्मित हुआ यह अधिनियम पेपर उद्योग पर भी लागू होता है। इसमें महिला श्रमिक के 160 दिन की सेवाकाल के पूर्ण कर लेने पर 12 सप्ताह का अवकाश औसत वेतन पर दिया जाता है।

4. कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम,

मिल के सभी श्रमिक एवं कर्मचारी इस भविष्यनिधि के सदस्य होते हैं इस निधि में श्रमिक अपने कुल वेतन का 8.33 प्रतिशत या 10 प्रतिशत भाग जमा करना पड़ता है तथा सेवायोजक द्वारा उतनी ही रकम जमा करायी जाती है। इस निधि का उद्देश्य सेवानिवृत्ति के पश्चात् श्रमिकों के लिए धन की व्यवस्था करना है और यदि श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को प्रदान करना है।

5. ग्रेच्युइटी भुगतान संशोधित अधिनियम 1987

Received: 16.01.2020 **Accepted:** 13.02.2020 **Published**: 13.02.2020

DOI: 10.46523/jarssc.03.01.11
Multidisciplinary, Open Access

जिन मिलों में 10 या उससे अधिक श्रमिक कार्यरत है, अवकाश ग्रहण करने या मृत्योपरान्त या पद त्यागने पर आदि की स्थिति में ग्रेच्युइटी की धनराशि पाने का अधिकारी है।

6. जमा सम्बद्ध बीमा योजना

यह योजना 1 अगस्त 1976 से उन श्रमिकों पर लागू की गयी है जो भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत आते हैं। इस योजना के अनुसार केवल सेवायोजकों को श्रमिक / कर्मचारी के वेतन से प्रत्येक 100 रू0 पर 50 पैसे अंशदान देना पड़ता है। इस योजना में श्रमिकों को कुछ भी नहीं देना पड़ता है।

7. पारिवारिक पेंशन योजना 1971

औद्योगिक श्रमिकों की पूर्व परिपक्व मृत्यु होने पर उसके परिवार को दीर्घकालीन वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से 1 मार्च 1971 से योजना लागू की गयी जो श्रमिक बोनस योजना, 1948 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के सदस्य हैं वहीं इस योजना के पात्र होंगे।

इस प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार ने पेपर उद्योग के महत्त्व को देखते हुये सामाजिक सुरक्षा के लिए सराहनीय कदम उठाये हैं फिर भी यह नहीं कहा जा सकता है कि पेपर उद्योग में श्रमिकों को पूर्ण रूप से लाभार्थ हेतु चयनित किया जाता है। परन्तु यह सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त है तथा विविध तरीकों से अनुपयुक्त हो रही है जैसे अंसगठित श्रमिकों को लाभ न मिलना, योजनाओं एवं अधिनियमों में समन्वय का अभाव, उचित प्रशासनिक मशीनरी का अभाव बेरोजगारी बीमा का अभाव वृद्धावस्था काल में उचित सुरक्षा का अभाव इत्यादि।

निष्कर्ष

Received: 16.01.2020 **Accepted:** 13.02.2020 **Published**: 13.02.2020

DOI: 10.46523/jarssc.03.01.11
Multidisciplinary, Open Access

उत्तर प्रदेश की पेपर मिलों में श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विविध पहलुओं का अध्ययन करने के पश्चात् ज्ञात होता है कि सेवायोजकों व प्रबन्धकों द्वारा श्रमिकों के सन्दर्भ में कारखाना अधिनियम के अनुसार मिल मालिकों द्वारा श्रमिक सुविधाओं को प्रदान करने में पूर्णतया लचीला दृष्टिकोण अपनाया जाता है। पेपर मिलों द्वारा कारखाना अधिनियम में वर्णित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी उपायों पर पूर्ण ध्यान न दे पाने से श्रमिकों की कार्य के प्रति रूचि, अरुचि में परिवर्तित हो जाती है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव मिलों के श्रेष्ठतम् उत्पादन पर पड़ता है। पेपर मिलों द्वारा उक्त विविध उल्लिखित उपायों में सभी की पूर्ति कर पाना असम्भव हो गया है। प्रदेश की पेपर मिले कच्चे माल की आपूर्ति व अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अभाव में उत्पादन कार्य कर रही हैं। ऐसी स्थिति में मिल मालिकों द्वारा श्रमिकों की सेवा शर्तों में कटौती की जाती है जो मिल हित में भविष्य के लिए उत्तम संकेत नहीं है। अतः यह आवश्यक होगा कि मिल प्रबन्धकों व सरकार द्वारा पेपर मिलों में श्रेष्ठ उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करें तथा श्रमिकों को संरक्षण प्रदान किया जाय जिससे मिलों में उत्पादन की गति को नवीन दिशा प्राप्त हो और श्रमिकों को भी लाभान्वित किया जा सके।

सन्दर्भ सूची

1. भगोलीवाल, टी० एन० व भगोलीवाल, प्रेमलता (2001), श्रम अर्थशास्त्र एवं औद्योगिक सम्बन्ध साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, पृ0 2
2. शर्मा, गंगा सहाय (2009), श्रमिक विधियों सेण्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद, पृ० 23–24
3. शर्मा, गंगा सहाय (2009) श्रमिक विधियाँ, सेण्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद, पृ० 21
4. सक्सेना, एस० सी० (1996) श्रम समस्याएं एवं सामाजिक सुरक्षा, रस्तोगी पब्लिकेशन्स, मेरठ, पृ० 580
5. मामोरिया चतुर्भुज, सतीश व दशोरा, मोहनलाल (2002) सेविवर्ग प्रबन्ध एवं औद्योगिक सम्बन्ध, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, पृ० 462.

Received: 16.01.2020 **Accepted:** 13.02.2020 **Published**: 13.02.2020

6. भगोलीवाल, टी० एन० व भगोलीवाल, प्रेमलता (2001) श्रम अर्थशास्त्र एवं औद्योगिक सम्बन्ध, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, पृ० 2
7. शर्मा, गंगा सहाय (2009) श्रमिक विविधयाँ, सेण्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद, पृ0 22
8. मामोरिया एवं जैन (1996) भारतीय अर्थशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स आगरा, पृ० 325–28
9. राबर्ट, मैथिस, एल० व जॉन एच० जैक्सन (1990) पर्सनल ट्यूमन रिसोर्स ऑफ मैनेजमेण्ट, टाटा मैग्राहिल पब्लिकेशन्स कम्पनी लि. नई दिल्ली, पृ० 210

Received: 16.01.2020 **Accepted:** 13.02.2020 **Published**: 13.02.2020